



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी:- विकास शर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या - 60/2020 प्रा0पत्र

अनवान

सम्पत लाल पिता सोहनलाल जाति जैन आयु 65 वर्ष निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।

विरुद्ध

..... प्रार्थी

1. लक्ष्मण सिंह पिता मोती सिंह ।
2. भान सिंह पिता पन्ना सिंह ।
समस्त जाति रावत आयु बालिग निवासी चॉक हिरात कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद ।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थिति:-

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेश कुमार मेहता
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक:- 30/10/25

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की ग्राम चौकहीरात पटवार कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या 244 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 2798/1, 2799 रकबा क्रमशः 00-05-00 एवं 01-06-00 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर सही सीमा जानकारी चिन्ह नहीं होने से लड़ाई-झगड़ा होता रहता है तथा अप्रार्थी जमीन पर काटे डाल रहे हैं तथा मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। परन्तु इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षी 1 व 2 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की

pha

खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम चोकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थी सह खातेदार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम चोकहीरात पटवार हल्का कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद में स्थित खाता संख्या 244 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 2798/1, 2799 रकबा क्रमशः 00-05-00 एवं 01-06-00 कुल किता 02 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



Shar
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमंद